# उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,

राज्य नियोजन संस्थान, नवीन भवन,
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007

विज्ञा.सं.–8165/उ.प्र.रेरा /कन्सि.कन्स. भर्ती/2024–25 दिनांक 08/ 06/2024

## विज्ञापन

**उ.प्र. रेरा में आवंटियों तथा प्रवर्तकों के मध्य विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु कन्सिलिएशन फोरम में कन्सलटेन्ट की सेवाएं प्राप्त करने हेतु विज्ञापनः–**

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में आवंटियों तथा प्रवर्तकों के मध्य विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु इस प्रकार के विवादों के निपटारों से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्षेत्रों में प्रशासनिक/अर्द्वन्यायिक कार्यों का पर्याप्त अनुभव रखने वाले साफ–सुथरी छवि के सेवानिवृत्त लोकसेवकों/ विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं के सेवाओं की आवश्यकता है। चयनित सेवानिवृत्त लोकसेवकों/ विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं को निश्चित मानदेय देय होगा एवं उन्हें प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए आबद्ध किया जाएगा। कन्सिलिएशन की प्रक्रिया में उनका सार्थक योगदान प्राप्त होने पर अग्रतर एक वर्ष का विस्तार प्रदान करने पर विचार किया जा सकेगा।

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में कन्सिलिएशन फोरम में कान्सलटेन्ट के पद पर ऑन लाईन आवेदन करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों की आयु आवेदन हेतु अन्तिम तिथि पर न्यूनतम 60 वर्ष एवं अधिकतम 62 वर्ष से अधिक न हो।

इस हेतु अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के वेब पोर्टल ***https://up-rera.in*** पर दिनांकः **11/06/2024** से दिनांकः **25/06/2024** के अन्तराल में निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन का प्रारूप उक्त वेबसाइट पर दिनांकः 11/06/2024 से उपलब्ध रहेगा।

**सचिव**

Sunil K.T.

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,
राज्य नियोजन संस्थान, नवीन भवन,
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007

विज्ञा.सं.–8165/उ.प्र.रेरा /कन्सि.कन्स. भर्ती/2024–25 दिनांक08 /06/2024

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (उ.प्र.रेरा) मुख्यालय लखनऊ में 01 तथा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर में 01 कन्सिलिएशन फोरम में कन्सलटेन्ट के लिए प्राधिकरण द्वारा निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित की गयी है:–

1. उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के मुख्यालय, लखनऊ के लिए 01 तथा क्षेत्रीय कार्यालय ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के लिए 01 कन्सलटेन्ट की सेवाएं प्राप्त की जाएं।
2. कन्सलटेन्ट्स की सेवाएं एक वर्ष के लिए ली जानी प्रस्तावित है। प्राधिकरण के कन्सिलिएशन फोरम में कन्सलटेन्ट के सार्थक योगदान प्राप्त होने पर अग्रतर 01 वर्ष के सेवा विस्तार दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।
3. सेवा निवृत्त लोक–सेवकों को राज्य सरकार के शासनादेश के अनुसार पुनर्नियुक्ति के मामलों में देय वेतन के बराबर मानदेय का भुगतान किया जाएं।
4. सेवा निवृत्त लोक सेवकों को वरीयता प्रदान की जायेगी।
5. आवेदक की आयु आवेदन हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि पर न्यूनतम 60 वर्ष एवं अधिकतम 62 वर्ष से अधिक न हो।
6. लोक–सेवकों से भिन्न व्यक्तियों के कन्सलटेन्ट के रूप में चयन की दशा में रू.80,000/– निश्चित मानदेय का भुगतान किया जाएं।
7. मुख्यालय से बाहर रेरा के कार्यों हेतु भ्रमण की दशा में सचिव/विशेष सचिव को अनुमन्य यात्रा तथा दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएं।
8. रेरा के कार्यालय आने हेतु रू.10,000/– प्रतिमाह वाहन–भत्ता का भुगतान किया जाएं।
9. इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा उ.प्र. रेरा की वेबसाइट https://www.up-rera.in के CAREER लिंक पर जाकर दिनांक: 11/06/2024 से दिनांक: 25/06/2024 की सांय 05 बजे तक निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
सचिव

Sunil K.T.